

कार्यालय : अधीक्षक, एम० जी० एम० मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जमशेदपुर।

सूचना

स्वास्थ्य विभागीय पत्र संख्या 7/A रिम्स (स्था०) 01-22/08, 74 (7B) दिनांक 28/03/2009 के अनुसार एम० जी० एम० मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जमशेदपुर में रेसीडेन्सी स्कीम लागू की गई है। इसके अन्तर्गत चिकित्सकों का चयन व्लीनिकल विभाग में जुनियर रेजिडेन्ट (नन एकेडेमिक) के उपलब्ध रिक्त पदों पर एक वर्ष के लिए नियमानुसार किये जाने का प्रावधान है।

तदनुसार इच्छुक अभ्यर्थी से निम्नांकित रिक्त पदों पर विहित प्रप्रत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। अभ्यर्थी आवेदन का विहित प्रप्रत्र अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय अवधि के दौरान प्राप्त कर सकते हैं। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है।

CATEGORY	GENERAL	E.W.S	S.T.	S.C.	B.C.-I	B.C.-II	TOTAL
VACANCY	17	07	16	03	06	05	54

नियमभार्ते निम्नप्रकार हैं –

- 01 एम० बी० बी० एस० के डिग्री के प चातृ झारखण्ड राज्य मेडिकल कॉसिल का स्थायी निबंधन प्रमाण-पत्र अनिवार्य है।
- 02 इन्टर्नी पीप समाप्त होने की तिथि के चार वर्ष के भीतर तक के आवेदक अपना आवेदन दे सकते हैं।
- 03 वर्तमान समय में इन्टर्नी अप पूरा कर चुके एम० जी० एम० मेडिकल कॉलेज, जम० देपुर के स्नातकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- 04 अधूरे/ त्रूटिपूर्ण आवेदन स्वीकृत नहीं होंगे।
- 05 किसी भी कारण से अभ्यर्थी का आवेदन आं० टक/पूर्ण रूप से अस्वीकृत करने का अधिकार चयन समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
- 06 एन० एम०सी० के guideline के आलोक में अस्पताल के विभिन्न विभागों की आव यकतानुसार ही अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।
- 07 अभ्यार्थियों का चयन, प्रथम एक वर्ष के लिए, तदोपरान्त वार्षिक अवधि विस्तार पर अधिकतम दो वर्षों के लिए, विभागाध्यक्ष की चरित्र अभ्युक्ति, संतोषजनक कार्यावधि एवं आव यकता के आधार पर किया जाएगा। इस दौरान वे कहीं अन्य नियोजित नहीं रहेंगे।
- 08 झारखण्ड सरकार की आरक्षण नीति अनुसार चयन में आरक्षण का लाभ देय होगा। आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु झारखण्ड सरकार के अद्यतन नियमानुसार विहित प्रप्रत्र में जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। अन्य प्रप्रत्र में जाति प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।
- 09 चयनित अभ्यर्थियों को सरकारी नियमानुसार मानदेय भुगतेय होगा।
- 10 किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय की सीमा जम० देपुर होगी।
- 11 चयनित जुनियर रेजीडेन्ट (नन एकेडेमिक) विना अवका । स्वीकृत के अवका । पर जाने से उन्हे अनाधिकृत अनुपस्थित माना जायेगा यदि आकस्मिक विभाग/अपने संबंधित विभाग में तीन (03) बार अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें निश्कासित किया जाएगा तथा इस हेतु निर्णय के लिए अधीक्षक स्वतंत्र होंगे।
- 12 कोई भी जुनियर रेजीडेन्ट (नन एकेडेमिक) अपना त्याग पत्र एक (01) माह पूर्व देंगे अन्यथा अन्तिम एक (01) माह के मानदेय का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- 13 जुनियर रेजीडेन्ट (नन-एकाडेमिक) को कोई सरकारी छात्रावास/आवास की सुविधा उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।
- 14 साक्षात्कार के दिन फलित रिक्ति के विरुद्ध चयन किया जायेगा। अभ्यर्थियों के चयन में समिति का निर्णय ही अंतिम और मान्य होगा।
- 15 राश्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के निरीक्षण के दौरान यदि कोई जुनियर रेजीडेन्ट(नन-एकाडेमिक) अनुपस्थित होते हैं तो उनकी सेवा विना कारण पूछे तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

आवेदन संबंधी विवरणी : –

1. आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि 18/12/2024 के संध्या 5 बजे तक।
2. प्रमाण पत्रों के सत्यता की जाँच की तिथि 19/12/2024 के 11 बजे पूर्वाह्न से।
3. कौसिलिंग की तिथि 20/12/2024 तथा समय मध्याह्न 12:00 बजे निर्धारित किया गया है।

अधीक्षक

एम० जी० एम० मेडिकल कॉलेज अस्पताल,
जमशेदपुर।